

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक: प015(51)ज.सं./2014

जयपुर, दिनांक : 22.5.15

-: आदेश :-


राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिचाई शाखा) नियम, 1954 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर जल संसाधन अभियांत्रिकी सेवा की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) की वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) के पद पर पदोन्नत किये जाने के एतद्द्वारा आदेश जारी किये जाते हैं:-

1. श्री कमला शंकर कलासुआ (एस.टी.)
2. श्री राजेन्द्र कुमार रोपिया
3. श्री अमर सिंह
4. श्री राजेन्द्र कुमार पारीक
5. श्री भुवन भाष्कर अग्रवाल

इस वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व में पदोन्नत अधिकारियों में श्री कमला शंकर कलासुआ का नाम श्री फूल सिंह मीणा से नीचे एवं श्री चौथमल चौधरी के ऊपर रहेगा। श्री राजेन्द्र कुमार रोपिया का नाम श्री राजीव चौधरी के नीचे और श्री सुरेश कुमार मित्तल के ऊपर रहेगा। श्री अमर सिंह का नाम श्री विनोद मित्तल के नीचे एवं श्री अरविन्द एस0 माथुर के ऊपर रहेगा। श्री राजेन्द्र कुमार पारीक का नाम श्री अरविन्द एस0 माथुर के नीचे एवं श्री संदीप माथुर के ऊपर रहेगा। श्री भुवन भाष्कर का नाम श्री रवि सोलंकी के नीचे एवं श्री मदन मोहन खत्री के ऊपर रहेगा।


उक्त सभी अधिकारी वर्तमान में अधीक्षण अभियन्ता के पद के विरुद्ध कार्यरत हैं। अतः अग्रिम आदेशों तक पदोन्नति पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पंकज ओझा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल संसाधन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कामिक (क-2) विभाग।
- ✓ 5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति सभी संबंधित को प्रेषित करावे।
6. रक्षित पत्रावली।


22.5.11
शासन सहायक सचिव